न्यायमूर्ति बी.एस. ढिल्लों और जे.वी. गुप्ता के समक्ष

भोला सिंह - याचिकाकर्ता
बनाम
लछमन दास - प्रतिवादी

1978 का नागरिक संशोधन क्रमांक 2225
3 सितंबर 1979

हरियाणा कृषि ऋण राहत अधिनियम (1976 का 18) - धारा 2 (एफ) और (जी), 5, 8 और 19 - ऋण निपटान अधिकारी के समक्ष कार्यवाही शुरू नहीं की गई - एक सिविल कोर्ट में दायर कथित ऋण की वसूली के लिए मुकदमा न्यायालय का क्षेत्राधिकार-क्या धारा 19 वर्जित है-सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति का दायरा यदि उठाया जाता है-ऐसे न्यायालय द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया बताई गई है।

माना गया कि इससे पहले कि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हरियाणा कृषि ऋण राहत अधिनियम, 1976 की धारा 19 के तहत वर्जित किया जाए, उसे यह तय करना होगा कि क्या ऋण को अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत निर्वहन किया गया माना जाएगा। या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करते समय, क्या निर्णय-ऋणी देनदार है, जैसा कि उसकी धारा 2 (जी) के तहत विचार किया गया है। यदि कोई अदालत, पक्षों को साक्ष्य पेश करने का अवसर देने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि या तो व्यक्ति ऋणी है या अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऋण का निर्वहन किया गया माना जाएगा, तो वह आगे बढ़ने से अपने हाथ रोक लेगी।

कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि अधिनियम के तहत इन मामलों पर निर्णय लेना ऋण निपटान अधिकारी का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। बेशक, इन मामलों पर उनके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, लेकिन ऐसे किसी भी निर्णय के अभाव में, सिविल कोर्ट इन मामलों पर फैसला करने के लिए मामले में जाने के लिए सक्षम होगा, यानी कि क्या अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऋण को विधिवत रूप से चुकाया हुआ माना जाएगा या जिस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री निष्पादित की जा रही है, वह बहस का विषय है या नहीं, अधिनियम कहीं भी यह प्रावधान नहीं करता है कि ये मामले केवल ऋण निपटान अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है और किसी अन्य द्वारा नहीं। यह सर्वविदित है कि विशेष रूप से इस आशय का प्रावधान करके सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाधित किया जा सकता है। जब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तब तक सिविल न्यायालय के पास हमेशा उसके सामने आने वाले मामले

पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा। अधिनियम एस की धारा 19 के तहत रोक लागू होने से पहले, न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना होगा कि क्या व्यक्ति देनदार है या अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऋण को विधिवत रूप से चुकाया हुआ माना जाएगा। सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार धारा 19 के तहत पूरी तरह से वर्जित नहीं है और इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत राहत दी जा सकती है यदि वह इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत अपना मामला साबित करने में सक्षम है। अधिनियम की योजना से, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी आपत्ति जब किसी मुकदमे में या निष्पादन आवेदन में ली जाती है तो अदालत द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया जाएगा। यदि यह माना जाता है कि या तो ऋण ऋण है या व्यक्ति ऋणी है जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, तो अदालत मामले में आगे नहीं बढ़ेगी। (पैरा 4 और 5).

श्रीमती के.एल. आनंद, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कुरूक्षेत्र के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका; दिनांक 3 नवंबर, 1978 को याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील के.जी. चौधरी

प्रतिवादी की ओर से एस. के. गोयल, वकील नौबत सिंह, सीनियर डी.ए.जी. (हरियाणा), राज्य के लिए

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता,

1. इस मामले को न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल द्वारा अपने दिनांक 27 अप्रैल 1979 के आदेश द्वारा डिवीजन बेंच को भेजा गया है ।

2. इस पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी-प्रतिवादी ने 2,700 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है अधीनस्थ प्रथम श्रेणी, कुरूक्षेत्र के न्यायालय में, जिसमें प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि वह एक सीमांत किसान है, जैसा कि हरियाणा कृषि ऋण राहत अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा) की धारा में परिभाषित किया गया है (इसके बाद) अधिनियम के रूप में संदर्भित), मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 5 के तहत, प्रत्येक ऋण, उस पर देय ब्याज सहित, अधिनियम के प्रारंभ पर किसान के स्वामित्व में है, जिसकी वार्षिक घरेलू आय दो हजार से अधिक नहीं है सौ रुपये, पूर्णतया उन्मोचित समझे जायेंगे। इस प्रकार, मैं उसे सक्रिय करता हूं, धारा 19 के तहत, सिविल कोर्ट इस मुकदमे पर विचार नहीं कर सकता है। 3 नवंबर, 1978 के संशोधित आदेश के

आधार पर, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां तक अधिनियम की धारा 19 का संबंध है, यह केवल उन ऋणों से संबंधित है जिन्हें ऋण निपटान अधिकारी द्वारा ऋण घोषित किया गया है। ऐसे ऋणों की वसूली के लिए मुकदमों पर विचार करने का सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। चूंकि वर्तमान मामले में, ऋण निपटान में ऋण के रूप में घोषित ऋण का कोई निष्कर्ष नहीं है, जैसा कि धारा 2 खंड (एफ) में परिभाषित किया गया है, प्रतिवादी को धारा 2 सीएलए द्वारा विचार के अनुसार ऋणी माना गया है। मुकदमे की सुनवाई करने का सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत नहीं आता है, न ही कोई सिविल न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि क्यू में ऋण को पूरी तरह से चुकाया हुआ माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, ऋण निपटान अधिकारी को सौंपा गया है और जब तक वह यह नहीं बताता कि प्रश्न में ऋण एक ऋण है और प्रतिवादी एक ऋणी है, सीआईवी को निर्णय किए बिना मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार है। मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि ऋण ऋण है या नहीं। नतीजतन, वें दंत-याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया गया।

3. इस याचिका में तय किया जाने वाला मुख्य प्रश्न अधिनियम की व्याख्यात्मक धारा 19 के बारे में है, जो इस प्रकार है:

"सिविल मुकदमों पर रोक। कोई भी सिविल अदालत सुनवाई नहीं करेगी-

(ए) पुनरीक्षण के लिए कोई मुकदमा, अपील या आवेदन-
(i) किसी भी प्रक्रिया की वैधता या किसी आदेश की वैधानिकता पर सवाल उठाना इस अधिनियम के तहत है; या
(ii) किसी भी ऋण की वसूली करना जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत निर्वहन किया गया माना गया है;

(बी) किसी ऋण के विरुद्ध सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने के लिए कोई आवेदन

(सी) ऋण निपटान अधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के तहत कार्यवाही को प्रभावित करने वाली घोषणा के लिए कोई मुकदमा, या निषेधाज्ञा के लिए कोई मुकदमा या आवेदन। यह अधिनियम कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत किसानों और छोटे किसानों को ऋणग्रस्तता से राहत प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जैसा कि निश्चित रूप से पवन धारा 2 को सक्रिय करता है। धारा 5 कुछ ऋणों को पूर्ण रूप से प्रभारित माने जाने का प्रावधान करती है जैसा कि उसमें दिया गया है

धारा 7 निपटान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 14 ऋण निपटान सी को उसके समक्ष दायर आवेदन पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है जैसा कि धारा 8 के तहत विचार किया गया है। धारा 18 में प्रावधान है कि यदि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में कोई प्रश्न उठता है, अर्थात ऋण या देनदारी ऋण है या नहीं, या देनदार है या नहीं, तो ऋण निपटान अधिकारी के निर्णय पर कोई भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

4) अधिनियम के सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्पष्ट राय है कि धारा 19 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाने से पहले, उसे यह तय करना होगा कि क्या ऋण को अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत निर्वहन किया गया माना जाएगा; या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करते समय, क्या निर्णय-देनदार देनदार है जैसा कि धारा 2 खंड (जी) के तहत विचार किया गया है। यदि कोई न्यायालय, पक्षों को साक्ष्य पेश करने का अवसर देने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि या तो व्यक्ति ऋणी है या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऋण का निर्वहन किया गया माना जाएगा, तो यह रुक जाएगा मामले को आगे बढ़ाना उसके हाथ में है। अधिनियम में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि अधिनियम के तहत इन मामलों पर निर्णय लेना डीटीबीटी निपटान अधिकारी का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। बेशक, इन सभी मामलों पर उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा, लेकिन ऐसे किसी भी निर्णय के अभाव में, सिविल कोर्ट इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। ये मामले, यानी क्या उस ऋण को अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत निर्वहन किया गया माना जाएगा या जिस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को हटाया जा रहा है, वह देनदार है या नहीं। अधिनियम में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि इन मामलों का निर्णय ऋण निपटान अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और किसी अन्य द्वारा नहीं।

यह सर्वविदित है कि विशेष रूप से इस आशय का प्रावधान करके सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाधित किया जा सकता है। जब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तब तक सिविल कोर्ट के पास हमेशा उसके सामने आने वाले मामले पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा। अधिनियम की धारा 19 के तहत रोक लगाने से पहले, न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना होगा कि क्या पी-बेटा देनदार है या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऋण को विधिवत रूप से चुकाया हुआ माना जाएगा।

5) इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है. अधिनियम की धारा 8 उप-धारा (2 धारा 1) के तहत अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि प्रदान करती है, जिसके भीतर एक देनदार या उसका कोई लेनदार निपटान अधिकारी को आवेदन कर सकता है। मान लीजिए कि किसी मामले में देनदार या लेनदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं किया है, तो सवाल उठ सकता है कि क्या वह

अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा करने से वंचित है, यदि वह अन्यथा इसका हकदार है। यदि ऐसा है कि सिविल कोर्ट को इस मामले में जाने से वंचित किया गया है क्योंकि यह था इसलिए, ऋण निपटान अधिकारी को इस अधिनियम के तहत उसके दावे की सेटिंग में जाने से रोकना होगा और इस प्रकार इसका मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि धारा 19 के कारण, सी कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरी तरह से वर्जित है और इसके द्वारा अधिनियम के तहत व्यक्ति को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, भले ही वह विभिन्न प्रावधानों के तहत अपना मामला साबित करने में सक्षम हो। अधिनियम की योजना से, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी आपत्ति जब मुकदमे में या निष्पादन आवेदन में ली जाती है, तो न्यायालय द्वारा पूर्व मुद्दे के रूप में निर्णय लिया जाएगा। यदि यह माना जाता है कि या तो ऋण ऋण है या व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डी है, तो न्यायालय इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी राय में, यह अधिनियम की धारा 19 का वास्तविक दायरा है।

6. ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है, न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी के आवेदन पर पक्षों को एकजुट होने का अवसर देने के बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। हालाँकि, पार्टियाँ अपना खर्च स्वयं वहन करेंगी।

न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों,.:- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा